उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 3/2019/300/एक-1-2019-24(1)/2018

लखनऊ: दिनॉक: 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, **2006 (**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या **8** सन **2012)** की धारा **59** की उपधारा (**4)** के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राजस्व अनुभाग-**1** की अधिसूचना संख्या- अ0मु0स0-339/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-**4** में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन **मै0जे0पी0** एसोसिएट्स लि**0** द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रयोग की गयी अतिरिक्त वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	**तहसील**	**ग्राम**	**भूमि की श्रेणी**	नाम खातेदार	गाटा सं0	**क्षेत्रफल (हे0में)**	विवरण/प्रयोजन
1	2	**3**	**4**	5	6	7	8	9
1.	मीरजापुर	सदर	महुआरी कलां	6-4	पहाड़	2ख	32.818	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए मै0जे0पी0 ऐसोसिएटस लि0 के खनन क्षेत्र में पड़ने वाली जनपद सोनभद्र स्थित वन विभाग की भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि वनीकरण हेतु।
2.		मड़िहान	लेदुकी	5-3-ड़	बंजर	19ख मि0	13.468	
3.			लेदुकी	5-1-क	नई परती	7घ	128.211	
4.		लालगंज	मतवार	5-3-ख	जंगल झाड़ी	54ख	0.051	
5.						54ग मि0	1.187	
6.						56खमि0	0.708	
7.						59ख	3.490	
8.						59ड़	3.971	
9.						61ख	2.845	
10.						61छ	0.202	
11.						65ख	12.633	

Shasanadesh.com.in

12.						65य	12.962	
13.						67ग	7.651	
14.						69ख	1.328	
15.						69अ	2.187	
16.						71कमि0	3.414	
17.						80घ	1.050	
18.						146क	3.237	
19.						150क	0.126	
20.						488ख	5.919	
21.						499ख	2.276	
22.						506क	6.172	
23.						506घ	1.934	
24.						769घमि0	0.645	
25.						781ख	1.252	
26.						781ड़	5.628	
27.			नदना	5-3-ख	जंगल झाड़ी	681ब	20.766	
28.			बबुरा रघुनाथ सिंह	5-3-ड़	बंजर	62ड़	22.282	
29.			भैसोड़ वलाय पहाड़	5-3-ड़	बंजर	1ड़	8.120	
30.			जैकर खुर्द	5-3-ड़	बंजर	2मि0	1.707	
31.				5-3-ड़	बंजर	5मि0	38.558	
32.				5-3-ड़	बंजर	6मि0	8.978	
33.				5-3-ड़	बंजर	7मि0	32.299	
34.				5-3-ड़	बंजर	8मि0	14.228	
35.				5-3-ड़	बंजर	9मि0	15.820	
36.				5-3-ड़	बंजर	10मि0	19.387	
37.				5-3-ड़	बंजर	11मि0	21.069	
38.				5-3-ड़	बंजर	13कमि0	11.725	
सम्पूर्ण योग:-						38गाटा	**470.304**	

Shasnadesh.com.in

(1)- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि0-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम महुआरीकलॉ तहसील-सदर व ग्राम लेदुकी तहसील-मडिहान तथा ग्राम-मतवार, नदना, बबुरा रघुनाथ सिंह, भैंसोड़ वलाय पहाड़, जैकर खुर्द तहसील-लालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 3**8** गाटा कुल रकबा 470.304 हे0 ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध निस्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

(3)- उक्त् भूमि वन विभाग उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त् भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दि**0**-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में मै0जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 38 गाटा कुल रकबा 470.304 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

Shasanadesh.com.in

(6)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-273/जी0भू0व्यव0लि0/पुनर्ग्र0पत्र0-49/2019 दिनांक-14/02/2019 एवं पत्र संख्या-05/जी0भू0व्यव0लि0/पत्रा0-49/पुनर्ग्रहण/2018 दिनांक-18/04/2018 के आलोक में।
7- मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

shasanadesh.com.in